

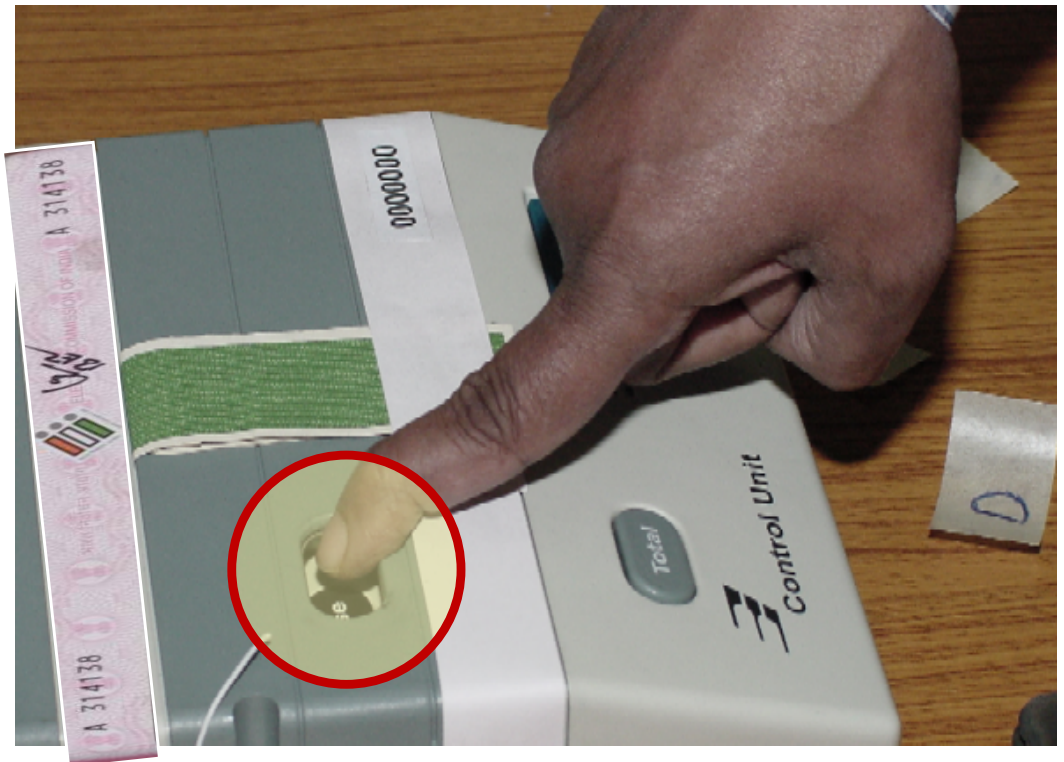
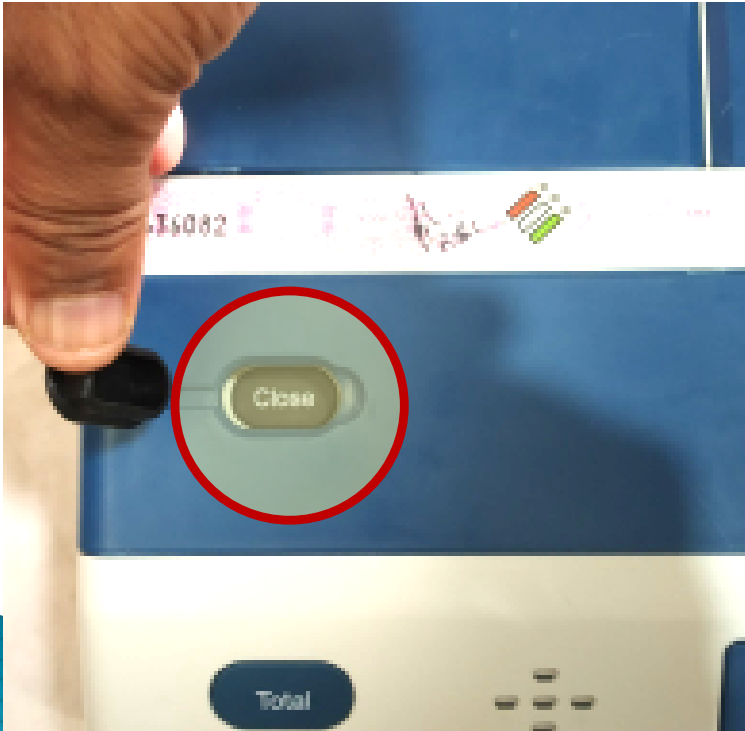
**FILLING OF VARIOUS FORMS,
CLOSE OF POLL AND
SEALING OF EVM AND OTHER
MATERIAL ,
DEPOSITION OF POLL MATERIAL,
ROLL OF SECTOR OFFICER, MICRO-
OBSERVER, VIDEOGRAPHER AND
WEBCASTING**

Updated By : DLMT Team AJMER

मतदान समाप्ति के बाद की प्रक्रिया

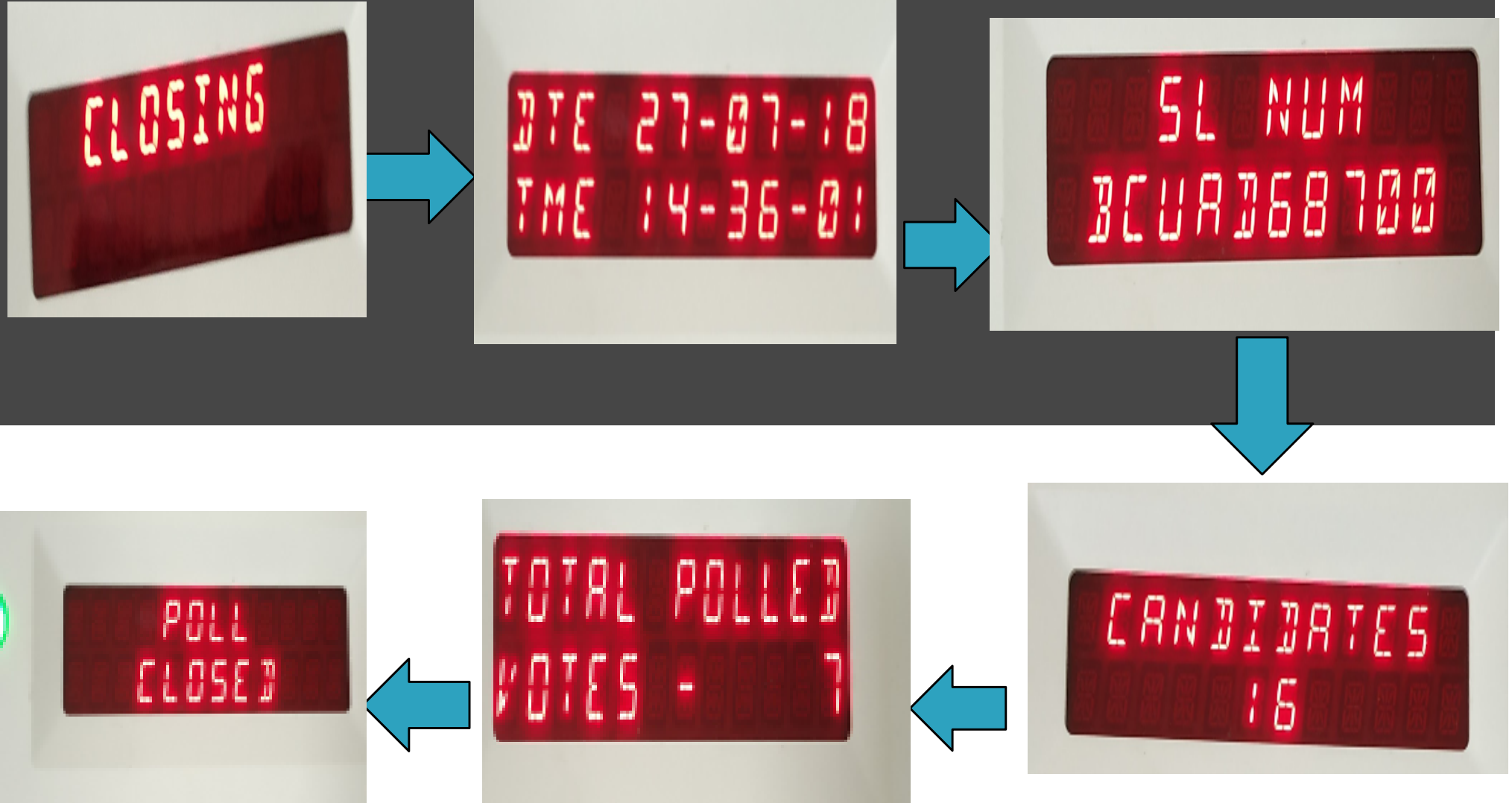
मतदान समाप्ति

- मतदान केंद्र पर अंतिम मतदाता के मतदान करने के बाद मतदान समाप्ति के लिए नियन्त्रण यूनिट पर लगी काले रंग की रबड़ की सील को हटा कर छिद्र में अंगुली की सहायता से काले रंग का क्लोज बटन दबायें।



कंट्रोल यूनिट

- क्लोज बटन दबाने पर निम्न सूचना डिस्प्ले होगी



मतदान समाप्ति

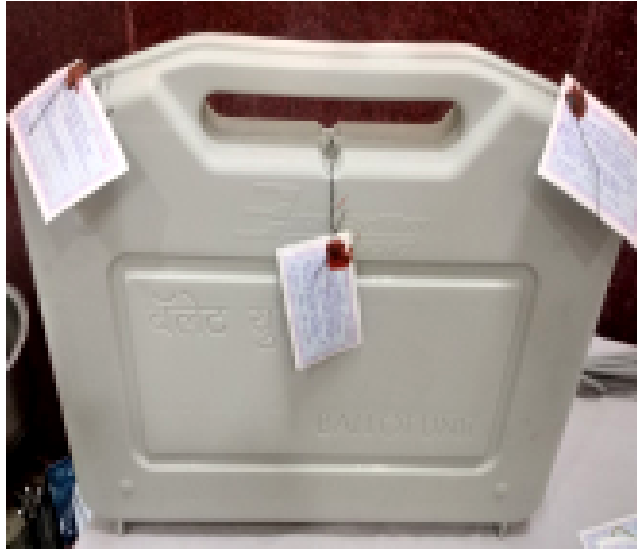
- इसके बाद "टोटल" का बटन दबाकर पुनः कुल डाले गये मतों की संख्या का मिलान कर लें तथा उपस्थित अभिकर्ताओं को भी वह संख्या दिखा दें एवं इस संख्या का रजिस्टर-17(क) में अंकित संख्या से मिलान कर लें।
- मतदान की प्रक्रिया के दौरान भी किसी भी समय "टोटल" का बटन दबाकर उस समय भी डाले गये कुल मतों की संख्या ज्ञात की जा सकती है।

मतदान समाप्ति



- इसके बाद कन्ट्रोल युनिट के पिछले हिस्से का ढक्कन पुनः खोलकर स्विच को ऑफ पॉजिशन पर ले आवें तथा लिंकिंग केबल का प्लग दोनो तरफ के लीवर दबाकर बाहर खींच लें।
- इसके बाद कन्ट्रोल युनिट के पिछले ढक्कन को पुनः बन्द करदें एवं अब इसे धागा बान्ध कर चपड़ी से सील कर दें।

मतदान समाप्ति



- BU, CU, VVPAT को पृथक-पृथक कैरिंग बॉक्स में रखें।
- कैरिंग बॉक्सों को मोहर बन्द करें तथा एड्रेस टैग लगावें।
- मोहरबन्द बॉक्सों को रिटर्निंग आफिसर के यहां जमा करायें।

मतदान समाप्ति पर की जाने वाली घोषणाएँ

- 1- मतदान समाप्ति के समय तक उपस्थित सभी मतदाताओं से मतदान कराया जायेगा।
2. मतदान पूर्ण होने पर मतदान समाप्ति की घोषणा मतदान अभिकर्ताओं के सम्मुख की जायेगी तथा घोषणा पर पीठासीन अधिकारी के साथ-साथ मतदान अभिकर्ताओं के हस्ताक्षर भी लिये जायेंगे।

मतदान समाप्ति पर मतदाता रजिस्टर (17—क) के अन्त में प्रमाण पत्र

- मतदान के अन्त में पीठासीन अधिकारी मतदाता रजिस्टर में दर्ज अन्तिम मतदाता की प्रविष्टि के नीचे प्रमाण पत्र अंकित करेगा कि कितने मतदाताओं ने वोट दिये हैं
- इस प्रमाण पत्र पर वह अपने हस्ताक्षर करेगा तथा उपस्थित मतदान अभिकर्ताओं के भी हस्ताक्षर करवायेगा।

विशेष — इस प्रमाण-पत्र में यह भी प्रमाणित किया जाना है कि ASD सूची में से कितने मतदाताओं को उचित जांच के बाद मतदान के लिए अनुज्ञात किया गया

भाग-III मतदान के अन्त में घोषणा

मैंने उन मतदान अभिकर्ताओं को, जो मतदान बन्द होने के समय मतदान केन्द्र में उपस्थित थे और जिन्होंने नीचे हस्ताक्षर किये हैं, निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 के नियम 49 घ (2) के अधीन यथा-अपेक्षित प्रारूप 17 (ग) के भाग-I रिकॉर्ड किये गये मतों का लेखा में प्रत्येक प्रविष्टि की एक-एक अनुप्रमाणित प्रति दे दी है।

तारीख
समय

हस्ताक्षर

पीठासीन अधिकारी

रिकॉर्ड किये गये मतों के लेखों (प्रारूप 17-ग का भाग-I) में की गई प्रविष्टियों की एक अनुप्रमाणित प्रति प्राप्त की।

मतदान अभिकर्ताओं के हस्ताक्षर :-

- | | |
|---------|------------------------------------|
| 1. | (अभ्यर्थी का मतदान अभिकर्ता) |
| 2. | (अभ्यर्थी का मतदान अभिकर्ता) |
| 3. | (अभ्यर्थी का मतदान अभिकर्ता) |
| 4. | (अभ्यर्थी का मतदान अभिकर्ता) |
| 5. | (अभ्यर्थी का मतदान अभिकर्ता) |
| 6. | (अभ्यर्थी का मतदान अभिकर्ता) |
| 7. | (अभ्यर्थी का मतदान अभिकर्ता) |
| 8. | (अभ्यर्थी का मतदान अभिकर्ता) |
| 9. | (अभ्यर्थी का मतदान अभिकर्ता) |

निम्नलिखित मतदान अभिकर्ताओं ने, जो मतदान बन्द होने के समय उपस्थित थे, प्रारूप 17-ग के भाग-I की एक अनुप्रमाणित प्रति प्राप्त करने और उसकी रसीद देने से इन्कार कर दिया है। अतः उन्हें उक्त प्रारूप की एक अनुप्रमाणित प्रति नहीं दी गई है।

- | | |
|---------|------------------------------------|
| 1. | (अभ्यर्थी का मतदान अभिकर्ता) |
| 2. | (अभ्यर्थी का मतदान अभिकर्ता) |
| 3. | (अभ्यर्थी का मतदान अभिकर्ता) |
| 4. | (अभ्यर्थी का मतदान अभिकर्ता) |
| 5. | (अभ्यर्थी का मतदान अभिकर्ता) |
| 6. | (अभ्यर्थी का मतदान अभिकर्ता) |
| 7. | (अभ्यर्थी का मतदान अभिकर्ता) |
| 8. | (अभ्यर्थी का मतदान अभिकर्ता) |
| 9. | (अभ्यर्थी का मतदान अभिकर्ता) |

मतदान मशीन को मुहरबन्द करना

1. मतदान समाप्ति के पश्चात् मतदान मशीन में रिकॉर्ड किये गये मतों का लेखा प्रारूप 17ग में तैयार कर इसकी प्रतियां उपस्थित मतदान अभिकर्ताओं को देने एवं प्रपत्र 7 के भाग 3 को भरने के पश्चात् मशीन को मुहरबन्द किया जाना चाहिए।
2. प्रत्येक कैरिंग बॉक्स के दोनों तरफ इस प्रयोजन के लिए उपलब्ध दो छिद्रों में से एक धागा डालकर एड्रेस टैग पर उसमें अन्तर्विष्ट यूनिट की विशिष्टियां दर्शाते हुये पीठासीन अधिकारी की मोहर सहित धागे को मुहर बन्द करें।
3. अभ्यर्थी या उनके मतदान अभिकर्ता जो उपस्थित हों एवं अपनी मोहर लगाने के इच्छुक हो उन्हें मोहर लगाने के लिए अनुज्ञात किया जायें।
4. ऐसे अभ्यर्थी या मतदान अभिकर्ता का नाम मतदान समाप्ति की घोषणा के प्रपत्र 7 के भाग 4 में लिखना चाहिए।

भाग-IV

मतदान मशीन को मुहरबन्द करने के पश्चात् घोषणा

मतदान मशीन की नियंत्रण यूनिट और मतदान यूनिट के कैरिंग केसों पर मैंने मेरी मुद्रा लगा दी है, और उन मतदान अभिकर्ताओं को, जो मतदान के अन्त में मतदान केन्द्र में उपस्थित थे, उनकी मुद्रा लगाने की अनुज्ञा दे दी है।

तारीख

समय

हस्ताक्षर

पीठासीन अधिकारी

निम्नलिखित मतदान अभिकर्ताओं ने अपनी मुद्रा लगा दी है।

मतदान अभिकर्ताओं के हस्ताक्षर :

- | | | | |
|----|-------|-----------------|--------------------|
| 1. | | (अभ्यर्थी | का मतदान अभिकर्ता) |
| 2. | | (अभ्यर्थी | का मतदान अभिकर्ता) |
| 3. | | (अभ्यर्थी | का मतदान अभिकर्ता) |
| 4. | | (अभ्यर्थी | का मतदान अभिकर्ता) |
| 5. | | (अभ्यर्थी | का मतदान अभिकर्ता) |
| 6. | | (अभ्यर्थी | का मतदान अभिकर्ता) |

निम्नलिखित मतदान अभिकर्ताओं ने मुद्रा लगाने से इन्कार कर दिया या मुद्रा लगानी नहीं चाही :-

- | | | | |
|----|-------|-----------------|--------------------|
| 1. | | (अभ्यर्थी | का मतदान अभिकर्ता) |
| 2. | | (अभ्यर्थी | का मतदान अभिकर्ता) |
| 3. | | (अभ्यर्थी | का मतदान अभिकर्ता) |
| 4. | | (अभ्यर्थी | का मतदान अभिकर्ता) |

तारीख

समय

हस्ताक्षर

पीठासीन अधिकारी

अनुलग्नक — 11
(अध्याय 29, पैरा 29.1.4)
फॉर्म 17ग
[[देखें नियम 49एस तथा 56ग (2)]]
भाग 1 — रिकॉर्ड किये गये मतों का लेखा

..... निर्वाचन क्षेत्र से लोक
सभा / राज्य / संघ राज्य क्षेत्र की विधान सभा के लिये निर्वाचन

मतदान केन्द्र का क्रमांक और नाम :—

मतदान केन्द्र में प्रयुक्त मतदान मशीन के पहचान क्रमांक

कण्ट्रोल यूनिट

बैलेट यूनिट

वीवीपैट

1. मतदान केन्द्र पर नियत निर्वाचकों की कुल संख्या
2. मतदाता रजिस्टर (प्रारूप 17क) में दर्ज कुल मतदाताओं की संख्या
3. नियम 49ओ के अन्तर्गत मत रिकार्ड नहीं करने का विनिश्चय करने वाले मतदाताओं की संख्या
4. नियम 49 एम के अधीन मतदान करने के लिये अनुज्ञात ना किये गये मतदाताओं की संख्या
5. नियम 49 एम.ए.(d) के अन्तर्गत टेस्ट वोट को घटाया जाए
(क) घटाये जाने वाले कुल टेस्ट वोटों की संख्या :—

कुल संख्या

प्रारूप 17क के अनुसार मतदाता का क्रमांक

(ख) उम्मीदवार जिसके लिये टेस्ट वोट का उपयोग किया :

क्रम संख्या

उम्मीदवार का नाम

मतों की संख्या

6. वोटिंग मशीन के अनुसार कुल डाले गये मतों की संख्या
7. क्या मद 6 के सामने यथादर्शित मतों की कुल संख्या मद 2 के सामने यथादर्शित मतदाताओं की कुल संख्या में से मद 3 के सामने दर्शित मत अभिलिखित ना करने वाले मतदाताओं की कुल संख्या घटाकर मद 4 के सामने मतदाताओं की संख्या घटाकर 4(2-3-4) पाया गया कोई अन्तर हो।
8. उन मतदाताओं की संख्या जिनको नियम 49पी के अधीन निविदत्त मतपत्र जारी किये गये
9. निविदत्त मतपत्रों की संख्या

	क्रम सं.	से	तक	कुल मत
(a) प्रयोग में लिये प्राप्त मत		से		
(b) निर्वाचकों को जारी किये गये		से		
(c) अप्रयुक्त एवं लौटाए गये		से		

10. पेपर सीलों का लेखा:

1. प्रदाय की गई पेपर सीलें :-
कुल संख्या
क्र.स.....से
तक
2. प्रयुक्त पेपर सीलें :-
कुल संख्या
क्र.स.....से
तक
3. अप्रयुक्त पेपर सीले जो रिटर्निंग अधिकारी
को लौटाई गई
कुल संख्या
क्र.स.....से
तक
4. नष्ट हुई पेपर सीलें (यदि कोई हो) :
कुल संख्या
क्र.स.....से
तक

मतदान अभिकर्ता के
हस्ताक्षर

1.
2.
3.
4.
5.
6.

दिनांक :-
स्थान :-

पीठासीन अधिकारी के हस्ताक्षर
मतदान केन्द्र क्रमांक.....

तारीख.....

रिटर्निंग ऑफिसर के हस्ताक्षर

अनुलग्नक 12

(अध्याय 32, पैरा 32.1.1)

पीठासीन अधिकारी की डायरी

1. निर्वाचन क्षेत्र का नाम (स्पष्ट अक्षरों में) :
2. मतदान की तारीख :
3. मतदान केन्द्र की संख्या एवं नाम :

मतदान केन्द्र निम्नलिखित में से कहां स्थित है—

- (i) शासकीय या अर्द्ध- शासकीय भवन ;
- (ii) निजी भवन;
- (iii) अस्थायी संरचना;
4. स्थानीय रूप से भर्ती किये गये मतदान अधिकारियों की संख्या, यदि कोई हो;
5. सम्यक् रूप से नियुक्त मतदान अधिकारी की अनुपस्थिति में नियुक्त मतदान, अधिकारी, यदि कोई हो, और ऐसी नियुक्ति के कारण ;
6. मतदान मशीन —
 - (i) उपयोग में लायी गयी कंट्रोल यूनिट की संख्या: CU
 - (ii) उपयोग में लायी गयी कंट्रोल यूनिट की क्रम संख्या :
 - (iii) उपयोग में लायी गयी मतदान यूनिट की संख्या : BU
 - (iv) उपयोग में लायी गयी मतदान यूनिट की क्रम संख्या:
7. (i) उपयोग में लायी गयी पेपर सीलों की संख्या:
 - (ii) उपयोग में लायी गयी पेपर सीलों की क्रम संख्या:
- 7.(A)(i) प्रदाय किए गए विशेष टैग की संख्या ;
 - (ii) प्रदाय लाये गये विशेष टैग की क्रम संख्यांक ;
 - (iii) उपयोग में लाये गये विशेष टैग की संख्या ;
 - (iv) उपयोग में लाये गये विशेष टैग की क्रम संख्यांक ;
 - (v) उपयोग में न लाये गये, वापस किये गये विशेष टैग की क्रम संख्यांक ;
- 7(B)(1) प्रदाय की गई स्ट्रिप सील की संख्या ;
 - (2) प्रदाय की गई स्ट्रिप सील की क्रम संख्यांक ;
 - (3) उपयोग में लाई गई स्ट्रिप सील की संख्या ;
 - (4) उपयोग में लाई गई स्ट्रिप सील की क्रम संख्यांक ;
 - (5) उपयोग में न लाई गई वापस स्ट्रिप सील की क्रम संख्यांक ।
- 7 (c) जिन मतदान केन्द्रों में VVPAT का उपयोग हुआ है उन पर लागू सिस्टम
 - (i) उपयोग किये गये प्रिन्टर की संख्या
 - (ii) प्रिन्टर का सरल क्रमांक

8 ऐसे अभ्यर्थियों की संख्या जिन्होंने मतदान केन्द्र पर मतदान अभिकर्ता नियुक्त किये हैं।

9. (i) मतदान के प्रारंभ में उपस्थित मतदान अभिकर्ताओं की संख्या
(ii) अभिकर्ताओं की संख्या जो विलंब से आये हों
(iii) मतदान के समाप्ति पर उपस्थित मतदान अभिकर्ताओं की संख्या
10. (i) मतदान केन्द्र पर नियत मतदाताओं की कुल संख्या ;
(ii) निर्वाचक नामावली की चिन्हित प्रति के अनुसार मत देने के लिये अनुज्ञात किये गये निर्वाचकों की संख्या ;
(iii) ऐसे निर्वाचकों की संख्या जिन्होंने वास्तव में मतदाताओं के रजिस्टर (प्ररूप 17A) के अनुसार मत दिया है ;
(iv) मतदान मशीन के अनुसार रिकार्ड किये गये मतों की संख्या।
(v) मतदाताओं की संख्या जिन्होंने मत न देने का निश्चय किया हो, यदि हो तो

प्रथम मतदान अधिकारी के हस्ताक्षर मतदाताओं के रजिस्टर के शारसाधक
प्रभारी मतदान अधिकारी के हस्ताक्षर

11 निर्वाचकों की संख्या जिन्होंने मत दिये—

पुरुष
महिला.....
थर्ड जेन्डर.....
कुल.....

12 चुनौतीयुक्त (चैलेंज्ड) मत—

स्वीकृत संख्या.....
अस्वीकृत संख्या.....
जब्त की गयी रकम Rs

13 उन व्यक्तियों की संख्या जिन्होंने निर्वाचन ड्यूटी प्रमाण —पत्र (EDC) प्रस्तुत करने पर मत दिये :

13A विदेशी मतदाता जिन्होंने बोट दिये हो:—

14 उन निर्वाचकों का संख्या जिन्होंने साथियों की सहायता से मत दिया:

15 प्रॉक्सी द्वारा दिये गये मतों की संख्या :

16 निविदत्त मतों की संख्या:

17 निर्वाचकों की संख्या —

(a) जिनमें उनकी उम्र के बारे में घोषणाएं प्राप्त की—

(b) जिन्होंने ऐसी घोषणाएं करने से इन्कार किया —

18 क्या मतदान स्थगित करना आवश्यक था, यदि ऐसा था, तो ऐसे स्थगन के कारण:

19. प्रत्येक दो घंटों में डाले गये मतों की संख्या—

- 7 बजे पूर्वाह्न से 9 पूर्वाह्न तक
- 9 बजे पूर्वाह्न से 11 पूर्वाह्न तक
- 11 बजे पूर्वाह्न से 1 अपराह्न तक
- 1 बजे अपराह्न से 3 अपराह्न तक
- 3 बजे अपराह्न से 5 अपराह्न तक

(मतदान के प्रारम्भ और समापन के समय के अनुरूप आवश्यक परिवर्तन किये जा सकते हैं)

20.

(a) मतदान समाप्त होने के समय पंक्तिबद्ध मतदाताओं को समय पर दी गयी पर्चियों की संख्या :

(b) अंतिम मतदाता के मत देने के पश्चात मतदान समाप्ति का समय

21. निर्वाचन अपराधों का विस्तृत विवरण

मामलों की संख्या —

- (a) मतदान केन्द्र से एक सौ मीटर की दूरी के अन्दर मत प्रचार:
- (b) मतदाताओं द्वारा प्रतिरूपण करना:
- (c) मतदाता केन्द्र पर किसी सूचना की सूची को या अन्य दस्तावेज को कपटपूर्वक बिगाड़ना, नष्ट करना या हटाना :
- (d) मतदाताओं को रिश्वत देना:
- (e) मतदाताओं और अन्य व्यक्तियों को भयभीत करना:
- (f) मतदान केन्द्र पर कब्जा करना:

22. क्या निम्नलिखित कारणों से मतदान में विघ्न या बाधा उपस्थित हुई—

- (1) बलवा:
- (2) खुली हिंसा:
- (3) प्राकृतिक विपत्ति:
- (4) बूथ पर कब्जा:
- (5) मतदान मशीन का विफल होना:
- (6) अन्य कोई कारण:

कृपया उपर्युक्त के बारे में ब्यौरा दें।

23. क्या मतदान केन्द्र पर उपयोग में लायी गयी किसी भी मतदान मशीन को—

- (a) पीठासीन अधिकारी की अभिरक्षा में से अवैधानिक रूप से छीनकर :
- (b) आकस्मिक या जानबूझकर गुम या नष्ट करके :
- (c) नुकसान पहुंचाकर या छेड़छाड़ करके मतदान को दूषित किया गया कृपया ब्यौरा दें।

24. अभ्यर्थियों/अभिकर्ताओं द्वारा की गयी गम्भीर शिकायतें, यदि कोई हो:
25. विधि तथा व्यवस्था को भंग करने संबंधी मामलों की संख्या:
26. मतदान केन्द्र पर की गयी त्रुटियों और अनियमितताओं की रिपोर्ट, यदि कोई हो:
27. क्या आपने मतदान के प्रारंभ के पूर्व, और यदि आवश्यक हो, मतदान के बीच जब किसी नयी मतदान मशीन का उपयोग में लाने के पूर्व माक पोल करना (आवश्यक) तथा मतदान की समाप्ति पर जो आवश्यक हो घोषणाएं कीं।
स्थान.....

तारीख

पीठासीन अधिकारी

यह डायरी, मतदान मशीन, विजिट शीट, पर्यवेक्षक की 16 – पाइंट रिपोर्ट, और अन्य मुहरबंद पत्रों के साथ रिटर्निंग ऑफिसर को भेजनी चाहिए।

मतदान केन्द्र पर हुए मतदान की सूचना

अ) लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र की संख्या एवं नाम		ब) राज्य का नाम		राजस्थान
स) विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र की संख्या एवं नाम		द) मतदान केन्द्र की संख्या एवं नाम		
1.	मतदान की दिनांक			
3.	प्रयोग में ली गई CU (कन्ट्रोल यूनिट) की कुल संख्या			
	प्रयोग में ली गई VVPAT की कुल संख्या			
3.	मौक पोल के समय कितने अभ्यर्थियों के मतदान अभिकर्ता मौजूद थे			
4.	मतदाताओं की संख्या :- मतदाता सूची के अनुसार			
	ई.डी.सी के आधार पर मतदान करने वाले मतदाताओं की संख्या			
	योग			
5.	निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 के प्रपत्र 17सी के मद 6 के अनुसार ई.वी.एम में पड़े मतों की संख्या			
	पुरुष			
	महिला			
	ट्रांसजेंडर			
	योग			
6.	नियम 49 Md (घ) के अन्तर्गत अभिलिखित परीक्षण मत, जो ई.वी.एम. में पड़े			
	पुरुष			
	महिला			
	ट्रांसजेंडर			
7.	18-19 आयु वर्ग के मतदान करने वाले मतदाताओं की संख्या			
8.	20-25 आयु वर्ग के मतदान करने वाले मतदाताओं की संख्या			
9.	मतदाता फोटो पहचान पत्र के आधार पर मतदान करने वाले मतदाताओं की संख्या			
10.	फोटो वोटर पर्ची के आधार पर मतदान करने वाले मतदाताओं की संख्या			
11.	अन्य दस्तावेजों के आधार पर मतदान करने वाले मतदाताओं की संख्या *			
12.	डाले गये निविदत्त (टेण्डर) मतों की संख्या			
13.	मतदान करने वाले निशक्तजनो/ दिव्यांगजनों की संख्या			
	दृष्टिहीन	सुनने में असमर्थ	शारीरिक अपंगता	अन्य अपंगता
14.	अनुपस्थित/स्थानान्तरित/दोहरे मतदाताओं की सूची में से मतदान करने वाले मतदाताओं की संख्या			
मैं उपर्युक्त आंकड़ों की पुष्टि करता हूँ तथा यह भी प्रमाणित करता हूँ कि भरे हुए प्रपत्र 17सी की प्रतियाँ मतदान समाप्त होने के पश्चात् पोलिंग एजेन्ट्स को सुपूर्द कर दी गई है एवं एक प्रति इस पत्र के साथ संलग्न है।				
(पीठासीन अधिकारी के हस्ताक्षर)				
नाम :-				
मोबाइल. नं. :-				

*नोट:- चुनाव आयोग द्वारा अन्य दस्तावेजों के आधार पर चिन्हीकरण की स्वीकृति प्रदान किये जाने पर ही सूचना भरी जावे।

यह प्रति संग्रहण केन्द्र पर सांख्यिकी के प्रभारी अधिकारी को सुपूर्द की जानी है।

विधानसभा आम चुनाव-2018
मतदाता एवं मतदान संबंधी सांख्यिकी प्रपत्र
विधानसभा क्षेत्र.....

पीठासीन अधिकारी द्वारा मतदान केन्द्र पर भरना है।
 इसे सांख्यिकी प्रपत्र वाले लिफाफे में रखना है।

1. विधानसभा क्षेत्र का क्रमांक एवं नाम.....
2. मतदान केन्द्र का क्रमांक एवं नाम.....
3. भाग संख्या.....
4. मतदान दल का क्रमांक.....

मतदाता				मतदान (मत पड़े)			
पुरुष	स्त्री	ट्रांसजेंडर	योग	पुरुष	स्त्री	ट्रांसजेंडर	योग
1	2	3	4	5	6	7	8

1. 18-19 आयु वर्ग के मतदान करने वाले मतदाताओं की संख्या.....
2. 20-25 आयु वर्ग के मतदान करने वाले मतदाताओं की संख्या.....

मतदान का प्रतिशत= $\frac{\text{कुल मतदान (कॉलम सं. 8)}}{\text{कुल मतदाता (कॉलम सं. 4)}} \times 100 =$

पीठासीन अधिकारी का स्पष्ट अक्षरों में नाम एवं मोबाईल नं.....

पूर्ण हस्ताक्षर

पीठासीन अधिकारी 3/27/2019

विधानसभा आम चुनाव- 2018
विधानसभा क्षेत्र का क्रमांक एवं नाम.....
मतदान केन्द्र का क्रमांक एवं नाम.....
डाले गये मतों की संख्या

समस्त आयु वर्ग के मतदान करने वाले पुरुष मतदाताओं की संख्या (18-19 वर्ष एवं 20-25 के आयु वर्ग के मतदाता भी शामिल होंगे)	समस्त आयु वर्ग के मतदान करने वाले महिला मतदाताओं की संख्या (18-19 वर्ष एवं 20-25 के आयु वर्ग के मतदाता भी शामिल होंगे)	समस्त आयु वर्ग के मतदान करने वाले ट्रांसजेंडर मतदाताओं की संख्या (18-19 वर्ष एवं 20-25 के आयु वर्ग के मतदाता भी शामिल होंगे)	समस्त आयु वर्ग में से केवल 18-19 वर्ष आयु वर्ग के मतदान करने वाले मतदाताओं की संख्या	समस्त आयु वर्ग में से केवल 20-25 वर्ष आयु वर्ग के मतदान करने वाले मतदाताओं की संख्या
1 41 81 121 161 201 241 281 321 361 401 441 481 521 561 601 641	1 41 81 121 161 201 241 281 321 361 401 441 481 521 561 601 641	1 41	1 41 81 121 161 201 241 281	1 41 81 121 161 201 241 281
2 42 82 122 162 202 242 282 322 362 402 442 482 522 562 602 642	2 42 82 122 162 202 242 282 322 362 402 442 482 522 562 602 642	2 42	2 42 82 122 162 202 242 282	2 42 82 122 162 202 242 282
3 43 83 123 163 203 243 283 323 363 403 443 483 523 563 603 643	3 43 83 123 163 203 243 283 323 363 403 443 483 523 563 603 643	3 43	3 43 83 123 163 203 243 283	3 43 83 123 163 203 243 283
4 44 84 124 164 204 244 284 324 364 404 444 484 524 564 604 644	4 44 84 124 164 204 244 284 324 364 404 444 484 524 564 604 644	4 44	4 44 84 124 164 204 244 284	4 44 84 124 164 204 244 284
5 45 85 125 165 205 245 285 325 365 405 445 485 525 565 605 645	5 45 85 125 165 205 245 285 325 365 405 445 485 525 565 605 645	5 45	5 45 85 125 165 205 245 285	5 45 85 125 165 205 245 285
6 46 86 126 166 206 246 286 326 366 406 446 486 526 566 606 646	6 46 86 126 166 206 246 286 326 366 406 446 486 526 566 606 646	6 46	6 46 86 126 166 206 246 286	6 46 86 126 166 206 246 286
7 47 87 127 167 207 247 287 327 367 407 447 487 527 567 607 647	7 47 87 127 167 207 247 287 327 367 407 447 487 527 567 607 647	7 47	7 47 87 127 167 207 247 287	7 47 87 127 167 207 247 287
8 48 88 128 168 208 248 288 328 368 408 448 488 528 568 608 648	8 48 88 128 168 208 248 288 328 368 408 448 488 528 568 608 648	8 48	8 48 88 128 168 208 248 288	8 48 88 128 168 208 248 288
9 49 89 129 169 209 249 289 329 369 409 449 489 529 569 609 649	9 49 89 129 169 209 249 289 329 369 409 449 489 529 569 609 649	9 49	9 49 89 129 169 209 249 289	9 49 89 129 169 209 249 289
10 50 90 130 170 210 250 290 330 370 410 450 490 530 570 610 650	10 50 90 130 170 210 250 290 330 370 410 450 490 530 570 610 650	10 50	10 50 90 130 170 210 250 290	10 50 90 130 170 210 250 290
11 51 91 131 171 211 251 291 331 371 411 451 491 531 571 611 651	11 51 91 131 171 211 251 291 331 371 411 451 491 531 571 611 651	11 51	11 51 91 131 171 211 251 291	11 51 91 131 171 211 251 291
12 52 92 132 172 212 252 292 332 372 412 452 492 532 572 612 652	12 52 92 132 172 212 252 292 332 372 412 452 492 532 572 612 652	12 52	12 52 92 132 172 212 252 292	12 52 92 132 172 212 252 292
13 53 93 133 173 213 253 293 333 373 413 453 493 533 573 613 653	13 53 93 133 173 213 253 293 333 373 413 453 493 533 573 613 653	13 53	13 53 93 133 173 213 253 293	13 53 93 133 173 213 253 293
14 54 94 134 174 214 254 294 334 374 414 454 494 534 574 614 654	14 54 94 134 174 214 254 294 334 374 414 454 494 534 574 614 654	14 54	14 54 94 134 174 214 254 294	14 54 94 134 174 214 254 294
15 55 95 135 175 215 255 295 335 375 415 455 495 535 575 615 655	15 55 95 135 175 215 255 295 335 375 415 455 495 535 575 615 655	15 55	15 55 95 135 175 215 255 295	15 55 95 135 175 215 255 295
16 56 96 136 176 216 256 296 336 376 416 456 496 536 576 616 656	16 56 96 136 176 216 256 296 336 376 416 456 496 536 576 616 656	16 56	16 56 96 136 176 216 256 296	16 56 96 136 176 216 256 296
17 57 97 137 177 217 257 297 337 377 417 457 497 537 577 617 657	17 57 97 137 177 217 257 297 337 377 417 457 497 537 577 617 657	17 57	17 57 97 137 177 217 257 297	17 57 97 137 177 217 257 297
18 58 98 138 178 218 258 298 338 378 418 458 498 538 578 618 658	18 58 98 138 178 218 258 298 338 378 418 458 498 538 578 618 658	18 58	18 58 98 138 178 218 258 298	18 58 98 138 178 218 258 298
19 59 99 139 179 219 259 299 339 379 419 459 499 539 579 619 659	19 59 99 139 179 219 259 299 339 379 419 459 499 539 579 619 659	19 59	19 59 99 139 179 219 259 299	19 59 99 139 179 219 259 299
20 60 100 140 180 220 260 300 340 380 420 460 500 540 580 620 660	20 60 100 140 180 220 260 300 340 380 420 460 500 540 580 620 660	20 60	20 60 100 140 180 220 260 300	20 60 100 140 180 220 260 300
21 61 101 141 181 221 261 301 341 381 421 461 501 541 581 621 661	21 61 101 141 181 221 261 301 341 381 421 461 501 541 581 621 661	21 61	21 61 101 141 181 221 261 301	21 61 101 141 181 221 261 301
22 62 102 142 182 222 262 302 342 382 422 462 502 542 582 622 662	22 62 102 142 182 222 262 302 342 382 422 462 502 542 582 622 662	22 62	22 62 102 142 182 222 262 302	22 62 102 142 182 222 262 302
23 63 103 143 183 223 263 303 343 383 423 463 503 543 583 623 663	23 63 103 143 183 223 263 303 343 383 423 463 503 543 583 623 663	23 63	23 63 103 143 183 223 263 303	23 63 103 143 183 223 263 303
24 64 104 144 184 224 264 304 344 384 424 464 504 544 584 624 664	24 64 104 144 184 224 264 304 344 384 424 464 504 544 584 624 664	24 64	24 64 104 144 184 224 264 304	24 64 104 144 184 224 264 304
25 65 105 145 185 225 265 305 345 385 425 465 505 545 585 625 665	25 65 105 145 185 225 265 305 345 385 425 465 505 545 585 625 665	25 65	25 65 105 145 185 225 265 305	25 65 105 145 185 225 265 305
26 66 106 146 186 226 266 306 346 386 426 466 506 546 586 626 666	26 66 106 146 186 226 266 306 346 386 426 466 506 546 586 626 666	26 66	26 66 106 146 186 226 266 306	26 66 106 146 186 226 266 306
27 67 107 147 187 227 267 307 347 387 427 467 507 547 587 627 667	27 67 107 147 187 227 267 307 347 387 427 467 507 547 587 627 667	27 67	27 67 107 147 187 227 267 307	27 67 107 147 187 227 267 307
28 68 108 148 188 228 268 308 348 388 428 468 508 548 588 628 668	28 68 108 148 188 228 268 308 348 388 428 468 508 548 588 628 668	28 68	28 68 108 148 188 228 268 308	28 68 108 148 188 228 268 308
29 69 109 149 189 229 269 309 349 389 429 469 509 549 589 629 669	29 69 109 149 189 229 269 309 349 389 429 469 509 549 589 629 669	29 69	29 69 109 149 189 229 269 309	29 69 109 149 189 229 269 309
30 70 110 150 190 230 270 310 350 390 430 470 510 550 590 630 670	30 70 110 150 190 230 270 310 350 390 430 470 510 550 590 630 670	30 70	30 70 110 150 190 230 270 310	30 70 110 150 190 230 270 310
31 71 111 151 191 231 271 311 351 391 431 471 511 551 591 631 671	31 71 111 151 191 231 271 311 351 391 431 471 511 551 591 631 671	31 71	31 71 111 151 191 231 271 311	31 71 111 151 191 231 271 311
32 72 112 152 192 232 272 312 352 392 432 472 512 552 592 632 672	32 72 112 152 192 232 272 312 352 392 432 472 512 552 592 632 672	32 72	32 72 112 152 192 232 272 312	32 72 112 152 192 232 272 312
33 73 113 153 193 233 273 313 353 393 433 473 513 553 593 633 673	33 73 113 153 193 233 273 313 353 393 433 473 513 553 593 633 673	33 73	33 73 113 153 193 233 273 313	33 73 113 153 193 233 273 313
34 74 114 154 194 234 274 314 354 394 434 474 514 554 594 634 674	34 74 114 154 194 234 274 314 354 394 434 474 514 554 594 634 674	34 74	34 74 114 154 194 234 274 314	34 74 114 154 194 234 274 314
35 75 115 155 195 235 275 315 355 395 435 475 515 555 595 635 675	35 75 115 155 195 235 275 315 355 395 435 475 515 555 595 635 675	35 75	35 75 115 155 195 235 275 315	35 75 115 155 195 235 275 315
36 76 116 156 196 236 276 316 356 396 436 476 516 556 596 636 676	36 76 116 156 196 236 276 316 356 396 436 476 516 556 596 636 676	36 76	36 76 116 156 196 236 276 316	36 76 116 156 196 236 276 316
37 77 117 157 197 237 277 317 357 397 437 477 517 557 597 637 677	37 77 117 157 197 237 277 317 357 397 437 477 517 557 597 637 677	37 77	37 77 117 157 197 237 277 317	37 77 117 157 197 237 277 317
38 78 118 158 198 238 278 318 358 398 438 478 518 558 598 638 678	38 78 118 158 198 238 278 318 358 398 438 478 518 558 598 638 678	38 78	38 78 118 158 198 238 278 318	38 78 118 158 198 238 278 318
39 79 119 159 199 239 279 319 359 399 439 479 519 559 599 639 679	39 79 119 159 199 239 279 319 359 399 439 479 519 559 599 639 679	39 79	39 79 119 159 199 239 279 319	39 79 119 159 199 239 279 319
40 80 120 160 200 240 280 320 360 400 440 480 520 560 600 640 680	40 80 120 160 200 240 280 320 360 400 440 480 520 560 600 640 680	40 80	40 80 120 160 200 240 280 320	40 80 120 160 200 240 280 320

पीठासीन अधिकारी का स्पष्ट अक्षरों में नाम एवं मोबाइल नं.....

मतों के लेखे (प्ररूप 17ग) के प्रति –

- मतदान समाप्ति के तुरन्त बाद कंट्रोल यूनिट में रिकार्ड किये गये मतों का लेखा विहित प्ररूप 17ग में पीठासीन अधिकारी बनायेगा। मतदाता रजिस्टर व चिन्हित मतदाता सूची से भी इसका मिलान किया जायेगा।
- उपस्थित प्रत्येक मतदान अभिकर्ता को मतों के लेखे की एक-एक सत्यापित प्रति दी जायेगी। यदि कोई अभिकर्ता उक्त प्रति लेने से इन्कार करता है तो पीठासीन अधिकारी अपनी घोषणा में अंकन करेगा।

BU,CU,VVPAT के साथ निम्नलिखित अभिलेख जमा होंगे

1. मतपत्र लेखा और पेपर सील का लेखा (लिफाफा नं. 1)
2. पीठासीन अधिकारी द्वारा की गई घोषणाएँ (लिफाफा नं. 2)
3. पीठासीन अधिकारी की डायरी (लिफाफा नं. 3)
4. मोक पोल स्लिप का प्लास्टिक का डिब्बा
5. सांख्यिकी प्रपत्र रखने का लिफाफा (सफेद रंग, पीला रंग)
6. पीठासीन अधिकारी की अतिरिक्त रिपोर्ट (16 बिन्दु)

अन्य सामग्री पैकिंग के लिये कुल चार बड़े पैकेट बनेंगे

प्रथम पैकेट – सांविधिक लिफाफे

- 1- निर्वाचन नामावली की चिन्हित प्रति का सील्ड लिफाफा (4)
2. मतदाताओं के रजिस्टर का सील्ड लिफाफा (5)
3. मतदाता पर्चियों का सील्ड लिफाफा (6)
4. अप्रयुक्त निविदत्त मतपत्रों का सील्ड लिफाफा (7)
5. प्रयुक्त निविदत्त मतपत्रों और प्रारूप 17ख की सूची का सील्ड लिफाफा (8)

अन्य सामग्री पैकिंग के लिये कुल चार बड़े पैकेट बनेंगे

द्वितीय पैकेट— असांविधिक लिफाफे

- 1- निर्वाचन नामावली की शेष प्रतियों से युक्त लिफाफा (10)
2. प्रारूप 10 में मतदान अभिकर्ताओं के नियुक्ति पत्र से युक्त लिफाफा (11)
3. प्रारूप 12ख में निर्वाचन ड्यूटी प्रमाण पत्र से युक्त लिफाफा (12)
4. प्रारूप 14 में चुनौती दिये गये मतों की सूची से युक्त सील्ड लिफाफा (13)
5. प्रारूप 14क में अन्धे व शिथिलांग निर्वाचकों की सूची और उनके साथियों की घोषणा से युक्त लिफाफा (14)

अन्य सामग्री पैकिंग के लिये कुल चार बड़े पैकेट बनेंगे

6. निर्वाचकों से उनकी आयु के बारे में अभिप्राप्त घोषणाओं और ए
से निर्वाचकों की सूची से युक्त लिफाफा (15)
7. चुनौती दिये गये मतों के सम्बन्ध में प्राप्ति रसीद और नकद
राशि यदि कोई हो, से युक्त लिफाफा (16)
8. अप्रयुक्त एवं क्षतिग्रस्त पेपर सील से युक्त लिफाफा (17)
9. अप्रयुक्त मतदाता स्लिपों से युक्त लिफाफा (9)
10. अप्रयुक्त और क्षतिग्रस्त स्पेशल टैग से युक्त लिफाफा (18)
11. अप्रयुक्त और क्षतिग्रस्त स्ट्रीप सील से युक्त लिफाफा (19)

अन्य सामग्री पैकिंग के लिये कुल चार बड़े पैकेट बनेंगे

तृतीय पैकेट

1. पीठासीन अधिकारियों के लिये पुस्तिका
2. इलेक्ट्रॉनिक मतदान मशीन की निर्देशिका
3. अमिट स्याही सैट
4. स्टॉम्प पैड
5. पीठासीन अधिकारी की धातु की मोहर
- 6 निविदत्त मतपत्रों को चिन्हित करने के लिये एंरोक्रास सील

चतुर्थ पैकेट

बचे हुये समस्त खाली फार्म, चपड़ी, मोमबत्ती थैला आदि समस्त बचा हुआ सामान चतुर्थ पैकेट में होगा।

पीठासीन अधिकारी द्वारा मतदान की समाप्ति पर सील की गई वोटिंग मशीन और निर्वाचन सम्बन्धी कागज पत्रों को संग्रहण केन्द्र पर अविलम्ब सुपुर्द कर संग्रहण केन्द्र के प्रभारी अधिकारी से प्राप्ति की रसीद प्राप्त करनी चाहिए।

विजिट शीट (Visit sheet) –

पीठासीन अधिकारी एक विजिट शीट भी रखेगा जिसमें मतदान केन्द्र का भ्रमण करने वाले अधिकारियों (जिला निर्वाचन अधिकारी, रिटर्निंग अधिकारी, सहायक रिटर्निंग अधिकारी, ऐरिया / जोनल / सैक्टर मजिस्ट्रेट, सैक्टर ऑफिसर) एवं पर्यवेक्षक द्वारा अपनी टिप्पणी अंकित की जायेगी। यह विजिट शीट पीठासीन अधिकारी की डायरी के साथ पीठासीन अधिकारी रिटर्निंग अधिकारी को सौंपेगा।

VISIT SHEET

Date of Poll: _____

Name and Number of Assembly : _____

Name and Number of Polling Station : _____

Number of Electors : _____

Sl. No.	Name & Designation of the officer visiting (Observer/DEO/RO/ ARO/ Sector Magistrate/ Zonal Magistrate/ Patrolling Magistrate)	Time of Visit	Brief description of polling process (Peaceful/Incidents, if any)	Number of votes polled till the time of visit		Remarks, if any	Signature of Officer
				As per Form 17	As per the EVM		

Signatures of Presiding Officers

(with date)

विजिट शीट का संधारण

- यह प्रारूप पीठासीन अधिकारी को मतदान सामग्री के साथ उपलब्ध कराया जायेगा
- विजिट शीट में मजिस्ट्रेट्स / डी.ई.ओ. / आर.ओ. / ए.आर.ओ. एवं पर्यवेक्षकगण अपनी विजिट के समय प्रविष्टियां करेंगे
- यह विजिट शीट पीठासीन अधिकारी द्वारा पीठासीन अधिकारी की डायरी के साथ नत्थीबद्ध कर दी जायेगी एवं मतदान समाप्ति के पश्चात पीठासीन अधिकारी की डायरी के साथ ही जमा करवा दी जायेगी

पीठासीन अधिकारी की अतिरिक्त रिपोर्ट का प्रारूप
(निर्वाचन क्षेत्र के पर्यवेक्षक/रिटर्निंग ऑफिसर को प्रस्तुत किया जाए)

मतदान केन्द्र की संख्या	मतदान केन्द्र की संख्या
1	2
के.सु.ब. तैनात किया गया हॉ/नहीं	3
वाईडो फोटोसक लगाया गया हॉ/नहीं	4
वीडियो कैमरा लगाया गया हॉ/नहीं	5
कुल मतदाता	6
आये गए वोटों की संख्या	7
मतदान का प्रतिफल	8
कुल उम्मीदवारों की संख्या	9
उम्मीदवारों की संख्या जिनका प्रतिनिधित्व मतदान अधिकर्ता द्वारा किया गया।	10
ऐसे मतदाताओं की संख्या जिनके द्वारा मतदान के लिए म.प्र.प. पत्र के अभाव अन्य दस्तावेजों का प्रयोग किया।	11
क्या दिखावटी मतदान अधिकर्ता की उपस्थिति में किया गया हॉ/नहीं	12
क्या दिखावटी मतदान कर्तव्यर कर दिया है। हॉ/नहीं	13
क्या मशीनें अधिकर्ताओं की उपस्थिति में संचालित तब से बंद एवं मोडलैंड की गई	14
क्या मतदान अधिकर्ताओं को उनके इलाका क्षेत्रों के परामर्श पत्रों 17 सी दिया गया ?	15
ऐसे मतदाताओं की संख्या जिन-हीने मतदान के अनिवार्य पत्रों में टीकन प्राप्त कर तब 5.00 बजे परामर्श मतदान किया।	16
क्या मतदान के दौरान कोई महत्वपूर्ण घटना घटित हुई? हॉ/नहीं	

अनुलग्नक-13
(अध्याय 9, पैरा 9.10.1)

निर्वाचन क्षेत्र के पर्यवेक्षक/रिटर्निंग अधिकारी को पीठासीन अधिकारी द्वारा प्रस्तुत की जाने वाली अतिरिक्त रिपोर्ट का प्रारूप

1.	मतदान केन्द्र संख्या :
2.	केन्द्रीय पुलिस बल तैनात किये गये है (हाँ/नहीं)
3.	सूक्ष्म पर्यवेक्षक (माईको आब्जर्वर) नियुक्त किये गये है(हाँ/नहीं)
4.	विडियो कैमरे स्थापित किये गये है
5.	कुल निर्वाचक (मतदाता) :
6.	डाले गये मतो की संख्या :
7.	डाले गये मतो का प्रतिशत :
8.	अभ्यर्थियों की कुल संख्या :
9.	मतदान अभिकर्ताओं द्वारा प्रतिनिधित्व किये जा रहे अभ्यर्थियों की संख्या :
10.	उन निर्वाचकों (मतदाताओं) की संख्या जिन्होंने निर्वाचन फोटो पहचान पत्र (EPIC) के अतिरिक्त दस्तावेजों का प्रयोग करते हुये मतदान किया।
11.	क्या अभिकर्ता की उपस्थिति में मॉक-पोल किया गया ? हाँ/नहीं
12.	क्या मॉक-पोल क्लीयर (Clear) गया ? हाँ/नहीं
13.	क्या अभिकर्ताओं की उपस्थिति में मशीनो को समुचित रूप से बन्द एवं सील किया गया ? हाँ/नहीं
14.	क्या मतदान अभिकर्ताओं को उनके हस्ताक्षर प्राप्त करने के पश्चात 17ग दिया गया ? हाँ/नहीं
15.	मतदान की समाप्ति के समय टोकन प्राप्त कर सायं 5 बजे के पश्चात मतदान करने वाले मतदाताओं की संख्या:
16.	क्या मतदान के दौरान कोई महत्वपूर्ण घटना घटित हुई ? हाँ/नहीं

**LOK SABHA/VIDHAN SABHA
GENERAL ELECTION, 201.....**

COUNTER NO. 1

(TO BE RETAINED BY COLLECTING OFFICER)

ARTICLES DEPOSITED BY PRESIDING OFFICER AT COUNTER NO. OR AT ANY COLLECTING CENTRE.

1. NAME & NO. OF PARLIAMENTARY CONSTITUENCY
.....
2. NAME & NUMBER OF ASSEMBLY SEGMENT
.....
3. NAME & NO. OF POLLING STATION
.....
4. DATE OF POLL.....
5. NO. OF PARTY.....
6. NAME OF PRESIDING OFFICER WITH OFFICIAL DESIGNATION
.....
.....

ARTICLES DEPOSITED

(TO BE KEPT IN STRONG ROOM WITH USED EVM)

1. USED CONTROL AND BALLOT UNIT.....
2. USED PRINTERS FOR VVPAT
.....
3. UNSEALED ENVELOP NO. 1.....
BALLOT PAPER ACCOUNT AND PAPER SEAL ACCOUNT (FORM-17C)
4. UNSEALED ENVELOP NO. 2
DECLARATION BY PRESIDING OFFICER
5. UNSEALED ENVELOP NO. 3.....
PRESIDING OFFICER DAIRY & ADDITIONAL REPORT OF PRESIDING OFFICER'S, MOCK POLL CERTIFICATE & VISIT SHEET

(TO BE RETAINED IN THE OFFICE OF R.O.)

SIGNATURE OF THE PRESIDING OFFICER

SIGNATURE OF THE INCHARGE
COLLECTING CENTRE
DISTRICT.....

**LOK SABHA/VIDHAN SABHA
GENERAL ELECTION, 201.....**

COUNTER NO. 1

(TO BE RETAINED BY COLLECTING OFFICER)

ARTICLES DEPOSITED BY PRESIDING OFFICER AT COUNTER NO. OR AT ANY COLLECTING CENTRE.

1. NAME & NO. OF PARLIAMENTARY CONSTITUENCY
.....
2. NAME & NUMBER OF ASSEMBLY SEGMENT
.....
3. NAME & NO. OF POLLING STATION
.....
4. DATE OF POLL.....
5. NO. OF PARTY.....
6. NAME OF PRESIDING OFFICER WITH OFFICIAL DESIGNATION
.....
.....

ARTICLES DEPOSITED

(TO BE KEPT IN STRONG ROOM WITH USED EVM)

1. USED CONTROL AND BALLOT UNIT.....
2. USED PRINTERS FOR VVPAT
.....
3. UNSEALED ENVELOP NO. 1.....
BALLOT PAPER ACCOUNT AND PAPER SEAL ACCOUNT (FORM-17C)
4. UNSEALED ENVELOP NO. 2
DECLARATION BY PRESIDING OFFICER
5. UNSEALED ENVELOP NO. 3.....
PRESIDING OFFICER DAIRY & ADDITIONAL REPORT OF PRESIDING OFFICER'S, MOCK POLL CERTIFICATE & VISIT SHEET

(TO BE RETAINED IN THE OFFICE OF R.O.)

SIGNATURE OF THE PRESIDING OFFICER

SIGNATURE OF THE INCHARGE
COLLECTING CENTRE
DISTRICT.....

Check List for Presiding/Polling Officers regarding Register of Voters (Form - 17A)

Parliamentary/Assembly Constituency No. _____

Name of Parliamentary/
Assembly Constituency _____

Polling Station No. _____

(a) Whether any Identification documents of voters checked along with their numbers, if any.	Yes/No
(b) Whether last four digits of EPIC has been entered :-	Yes/No
(c) Whether left thumb Impression/Signature of all electors has been taken on the Register of Voters (Form - 17A)	Yes/No
(d) Whether Register of Voters (Form-17A) has been filled up properly.	Yes/No

Signature of the Presiding Officer

Name of the Presiding Officer _____

प्रारूप - 10

(नियम 13 (2) देखिये)

***मतदान अभिकर्ता की नियुक्ति**

के लिए निर्वाचन

मैं, ... जो उपरिवर्णित निर्वाचन में *अभ्यर्थी हूँ/
..... का, जो उपरिवर्णित निर्वाचन में अभ्यर्थी है, निर्वाचन अभिकर्ता हूँ,
एतद्वारा (नाम और पता)
को संख्यांक वाले *मतदान केन्द्र में/मतदान के लिए
नियत स्थान में हाजिर रहने के लिये मतदान अभिकर्ता के रूप में नियुक्त करता हूँ।
स्थान

तारीख *अभ्यर्थी/निर्वाचन अभिकर्ता के हस्ताक्षर
मैं ऐसे मतदान अभिकर्ता के रूप में कार्य करने के लिये सहमत हूँ।

स्थान
तारीख मतदान अभिकर्ता के हस्ताक्षर

पीठासीन अधिकारी के समक्ष हस्ताक्षरित की जाने वाली मतदान अभिकर्ता की घोषणा

मैं एतद्वारा घोषणा करता हूँ कि उपरिवर्णित निर्वाचन में लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 128** द्वारा, "जो
मैंने पढ़ ली है/ जो मुझे पढ़ कर सुना दी गई है, निम्नलिखित कोई काल न करेगा।

तारीख मतदान अभिकर्ता के हस्ताक्षर
मेरे समक्ष हस्ताक्षरित की गई

तारीख पीठासीन अधिकारी

*मतदान केन्द्र में या मतदान के लिए नियत स्थान में पेश किये जाने के लिये मतदान अभिकर्ता को दे दिया जाए।

यहां निम्नलिखित अनुकल्पों में से एक, जो समुचित हो, लिखिए :-

- (1) निर्वाचन-क्षेत्र से लोक सभा।
- (2) निर्वाचन-क्षेत्र से विधान सभा।
- (3) (राज्य) की विधान सभा के निर्वाचित सदस्यों द्वारा राज्य सभा।
- (4) (ग्राम राज्यक्षेत्र) के निर्वाचन के सदस्यों द्वारा राज्य सभा।
- (5) विधान सभा के सदस्यों द्वारा विधान परिषद्।
- (6) निर्वाचन-क्षेत्र से विधान परिषद्।

*जो अनुकल्प समुचित न हो उसे काट दीजिये।

**लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 128-

"128 मतदान की गोपनीयता को बनाये रखना :- (1) ऐसा हर अधिकारी, लिपिक, अधिकर्ता या अन्य व्यक्ति, जो निर्वाचन
में मतों को अभिलिखित करने या उनको गणना करने से संलग्न किसी कर्तव्य का पालन करता है, मतदान की गोपनीयता को बनाये रखेगा और
बनाये रखने में सहायता करेगा और ऐसी गोपनीयता का अतिक्रमण करने के लिये प्रकल्पित कोई जानकारी किसी व्यक्ति को (किसी विधि के द्वारा

आक्षेप शुल्क (चैलेंज फीस) के लिए रसीद

बुक नं. 22974 पृष्ठ संख्या 1

श्री

अभ्यर्थी/निर्वाचन अभिकर्ता/मतदान अभिकर्ता से रुपये 2/- (दो रुपये मात्र) रुपये नकद, निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 के नियम 36 के अधीन आक्षेप के लिए जमा राशि के रूप में प्राप्त किये।

तारीख

..... संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में
समाविष्ट विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र
के मतदान केन्द्र संख्या
के लिए पीठासीन अधिकारी

आक्षेप शुल्क (चैलेंज फीस) के लिए रसीद

बुक नं. 22974 पृष्ठ संख्या 1

..... संसदीय निर्वाचन क्षेत्र जिसमें

विधानसभा आती है, के मतदान केन्द्र संख्या के लिए

पीठासीन अधिकारी का कार्यालय

श्री अभ्यर्थी/निर्वाचन अभिकर्ता/
मतदान अभिकर्ता से रुपये 2/- (दो रुपये मात्र) रुपये नकद, निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 के नियम 36 के अधीन की निक्षिप्त राशि (डिपोजिट) के रूप में प्राप्त किये।

तारीख

पीठासीन अधिकारी

P.T.O.

सरकार के पक्ष में जलत धन राशि निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 के नियम 36(5) के अधीन रुपये 2/- (रुपये दो मात्र) की राशि वापस प्राप्त की।

तारीख

अभ्यर्थी/निर्वाचन अधिकर्ता/मतदान अधिकर्ता
का नाम और हस्ताक्षर

**LOK SABHA/VIDHAN SABHA GENERAL
ELECTION, 201.....**

Counter No. : 2

(TO BE RETAINED BY COLLECTING OFFICER)

ARTICLES DEPOSITED BY PRESIDING
OFFICERS AT COUNTER NO. 2 OR
AT ANY COLLECTING CENTRE

1. Date of Poll.....
2. Name & No. of Parliamentary Constituency

3. Name & No. of Assembly Segment

4. Name & No. of Polling Station

5. Polling Party No.
6. Name of Presiding Officer with Official
Designation.....

(A) Record Deposited for Placing in the Sealed Box

**STATUTORY
SEALED COVERS**

- | | |
|---|-------------|
| 1. Marked Copy of Electoral Roll | Env. No. 4 |
| 2. Register of Voters | Env. No. 5 |
| 3. Voters Slip (Used) | Env. No. 6 |
| 4. Unused Tendered Ballot Papers | Env. No. 7 |
| 5. Tendered Ballot Papers (Duly
Marked) and Tendered Votes
list in Form 17B | Env. No. 8 |
| 6. Printed Paper Slips of Mock Poll | Env. No. 24 |

**LOK SABHA/VIDHAN SABHA GENERAL
ELECTION, 201.....**

Counter No. : 2

(TO BE RETAINED BY PRESIDING OFFICER)

ARTICLES DEPOSITED BY PRESIDING
OFFICERS AT COUNTER NO. 2 OR
AT ANY COLLECTING CENTRE

1. Date of Poll.....
2. Name & No. of Parliamentary Constituency

3. Name & No. of Assembly Segment

4. Name & No. of Polling Station

5. Polling Party No.
6. Name of Presiding Officer with Official
Designation.....

(A) Record Deposited for Placing in the Sealed Box

**STATUTORY
SEALED COVERS**

- | | |
|---|-------------|
| 1. Marked Copy of Electoral Roll | Env. No. 4 |
| 2. Register of Voters | Env. No. 5 |
| 3. Voters Slip (Used) | Env. No. 6 |
| 4. Unused Tendered Ballot Papers | Env. No. 7 |
| 5. Tendered Ballot Papers (Duly
Marked) and Tendered Votes
list in Form 17B | Env. No. 8 |
| 6. Printed Paper Slips of Mock Poll | Env. No. 24 |

(B) NON-STATUTORY COVERS*(For Retention Officers)*

- | | |
|---|-------------|
| 7. Unused Address Tag & Voters Slip (Unsealed) | Env. No. 9 |
| 8. Other Copies of Electoral Rolls (Unsealed) | Env. No. 10 |
| 9. Form of Appointment of Polling Agents (Form 10) Unsealed | Env. No. 11 |
| 10. Election Duty Certificate (Form 12-B) | Env. No. 12 |
| 11. Challenged Votes List Sealed (Form 14) | Env. No. 13 |
| 12. Envelope Containing :- (Unsealed) | Env. No. 14 |
| (i) Declaration by Companion of Blind and Infirm Voters | |
| (ii) List of Blind and Infirm Voters (Form 14-A) | |
| 13. Declaration About Age & their List (Unsealed) | Env. No. 15 |
| 14. Challenge for Receipt Books & Cash | Env. No. 16 |
| 15. Unused and Damaged Papers Seals | Env. No. 17 |
| 16. Unused and Damaged Special Tags | Env. No. 18 |
| 17. Unused and Damaged Strip Seals | Env. No. 19 |

Signature of the Presiding Officer

Signature of the Incharge Collecting Officer**(B) NON-STATUTORY COVERS***(For Retention Officers)*

- | | |
|---|-------------|
| 7. Unused Address Tag & Voters Slip (Unsealed) | Env. No. 9 |
| 8. Other Copies of Electoral Rolls (Unsealed) | Env. No. 10 |
| 9. Form of Appointment of Polling Agents (Form 10) Unsealed | Env. No. 11 |
| 10. Election Duty Certificate (Form 12-B) | Env. No. 12 |
| 11. Challenged Votes List Sealed (Form 14) | Env. No. 13 |
| 12. Envelope Containing :- (Unsealed) | Env. No. 14 |
| (i) Declaration by Companion of Blind and Infirm Voters | |
| (ii) List of Blind and Infirm Voters (Form 14-A) | |
| 13. Declaration About Age & their List (Unsealed) | Env. No. 15 |
| 14. Challenge for Receipt Books & Cash | Env. No. 16 |
| 15. Unused and Damaged Papers Seals | Env. No. 17 |
| 16. Unused and Damaged Special Tags | Env. No. 18 |
| 17. Unused and Damaged Strip Seals | Env. No. 19 |

Signature of the Presiding Officer

Signature of the Incharge Collecting Officer

**LOK SABHA/VIDHAN SABHA
GENERAL ELECTION, 201.....
COUNTER NO. 3**

(TO BE RETAINED BY COLLECTING OFFICER)

ARTICLES DEPOSITED BY PRESIDING OFFICER
AT COUNTER NO. 3 OR AT ANY COLLECTING
CENTRE.

1. NAME & NO. OF PARLIAMENTARY
CONSTITUENCY
2. NAME & NO. OF ASSEMBLY SEGMENT
.....
3. NAME & NO. OF POLLING STATION
.....
4. NAME OF PRESIDING OFFICER WITH OFFICIAL
DESIGNATION
5. POLLING PARTY NO.
6. DATE OF POLL

**PACKET-III CONTAINING
FOLLOWING ITEMS**

1. HAND BOOK FOR PRESIDING OFFICER
INSTRUCTIONS.
2. MANUAL OF ELECTRONIC VOTING MACHINE.
3. INDELIBLE INK PHIALS.
4. STAMP PAD.
5. PRESIDING OFFICER'S BRASS SEALS METAL.
6. DISTINGUISHING RUBBER STAMP.
7. ARROW CROSS MARK SEALS.
8. CIGARETTE TIN/CUP.

**PACKET-IV CONTAINING THE OTHER
MISCELLANEOUS ITEMS**

1. VOTING COMPARTMENT & CURTAIN.
2. CLOTH BAGS
3. UNUSED CONTROL & BALLOT UNIT
4. CANVAS BAG/IRON BOX ETC.

SIGNATURE OF THE PRESIDING OFFICER

SIGNATURE OF THE INCHARGE
COLLECTING CENTRE
DISTRICT

RRSM Ltd., Jaipur

**LOK SABHA/VIDHAN SABHA
GENERAL ELECTION, 201.....
COUNTER NO. 3**

(TO BE RETAINED BY PRESIDING OFFICER)

ARTICLES DEPOSITED BY PRESIDING OFFICER
AT COUNTER NO. 3 OR AT ANY COLLECTING
CENTRE.

1. NAME & NO. OF PARLIAMENTARY
CONSTITUENCY
2. NAME & NO. OF ASSEMBLY SEGMENT
.....
3. NAME & NO. OF POLLING STATION
.....
4. NAME OF PRESIDING OFFICER WITH OFFICIAL
DESIGNATION
5. POLLING PARTY NO.
6. DATE OF POLL

**PACKET-III CONTAINING
FOLLOWING ITEMS**

1. HAND BOOK FOR PRESIDING OFFICER
INSTRUCTIONS.
2. MANUAL OF ELECTRONIC VOTING MACHINE.
3. INDELIBLE INK PHIALS.
4. STAMP PAD.
5. PRESIDING OFFICER'S BRASS SEALS METAL.
6. DISTINGUISHING RUBBER STAMP.
7. ARROW CROSS MARK SEALS.
8. CIGARETTE TIN/CUP.

**PACKET-IV CONTAINING THE OTHER
MISCELLANEOUS ITEMS**

1. VOTING COMPARTMENT & CURTAIN.
2. CLOTH BAGS
3. UNUSED CONTROL & BALLOT UNIT
4. CANVAS BAG/IRON BOX ETC.

SIGNATURE OF THE PRESIDING OFFICER

SIGNATURE OF THE INCHARGE
COLLECTING CENTRE
DISTRICT

माइक्रो आब्जर्वर्स की व्यवस्था

- जिन मतदान केन्द्रों को उनकी संवेदनशीलता एवं मापदण्डों के कारण क्रीटीकल मतदान केन्द्र घोषित किया जाएगा उनमें से कुछ केन्द्रों पर एक-एक माइक्रो आब्जर्वर भी नियुक्त किये जाएंगे। ऐसे माइक्रो आब्जर्वर्स नमूने के मतदान से लेकर मतदान की सम्पूर्ण गतिविधियों पर नजर रखेंगे एवं निर्धारित प्रपत्र में अपनी रिपोर्ट निर्वाचन आयोग द्वारा नियुक्त सामान्य पर्यवेक्षक को उपलब्ध करायेंगे
- माइक्रो आब्जर्वर्स से किसी भी सूरत में मतदान दल के सदस्य के रूप में कार्य नहीं करवाया जायेगा

माइक्रो आब्जर्वर्स की मतदान दिवस को कार्यवाही

- पर्यवेक्षक द्वारा ब्रीफिंग करना
- मतदान केन्द्र पर एक घंटे पूर्व अथवा एक दिवस पूर्व पहुँचना
- मतदान केन्द्र पर तैयारियों का जायजा लेना
- **AMF** का जायजा लेना व रिपोर्ट में उल्लेख करना
- मॉक पोल की प्रक्रिया को देखना
- **CU** में मॉक पोल को क्लीयर करना
- मॉक पोल प्रमाण-पत्र पर **PRO** के हस्ताक्षर हैं या नहीं ? रिपोर्ट करना
- अनुलग्नक-2 में दिन भर की महत्वपूर्ण घटनाओं का उल्लेख करना

माइक्रो आब्जर्वर्स की मतदान दिवस को कार्यवाही

- ⌘ चुनाव शांतिपूर्ण, निष्पक्ष व आयोग के निर्देशानुसार हो रहे हैं, इसका अवलोकन कर रिपोर्ट करना
- ⌘ निम्न प्रक्रियाओं को विशेष रूप से देखना –
 - मॉक पोल प्रक्रिया
 - मतदान अभिकर्ताओं की उपस्थिति एवं उनकी भूमिका
 - मतदान केन्द्र पर आवागमन को देखना
 - मतदाता की पहचान
 - **ASD** सूची वाले मतदाताओं के बारे में अपनायी जाने वाली प्रक्रिया

माइक्रो आब्जर्वर्स की मतदान दिवस को कार्यवाही

- अमिट स्याही का प्रयोग
- 17A में प्रविष्टि व दस्तावेजों का अंकन
- मतदान प्रक्रिया की गोपनीयता
- कोई शिकायत – अभिकर्ता द्वारा
- यदि मतदान प्रक्रिया दूषित हो रही हो तो तुरंत रिपोर्ट करना

माइक्रो आब्जर्वर्स की मतदान दिवस को कार्यवाही

- ❑ सामान्य पर्यवेक्षक को रिपोर्ट करना — अनुलग्नक 1
- ❑ सामग्री संग्रहण केन्द्र पर सील्ड लिफाफे में देना
- ❑ मौखिक रूप से मुख्य-मुख्य घटनाओं को पर्यवेक्षक को बताना
- ❑ पर्यवेक्षक द्वारा चाही गई समस्त जानकारी देना
- ❑ स्कूटिनी के समय उपस्थित रहना

सैक्टर अधिकारी के कार्य

- भारत निर्वाचन आयोग द्वारा चुनावों की घोषणा की तिथि से कार्य प्रारम्भ
- संवेदनशीलता मानचित्रण (**Vulnerability Mapping**)
- स्वतंत्र, निष्पक्ष एवं भयमुक्त चुनाव कराने हेतु वातावरण तैयार करना
- अनुचित प्रभाव डालने वाले व्यक्तियों की सूची तैयार कर थाने में जमा कराना
- उक्त व्यक्तियों के विरुद्ध प्रभावी कार्यवाही करना
- चुनावों की घोषणा के तीन दिन में **VM SO** तैयार कर ए.आर.ओ. को देना
- भयग्रस्त परिवारों से बार—बार सम्पर्क करना
- सी.आर.पी.सी. की धारा 107, 116 के तहत कार्यवाही करना
- **Shadow Area** की जानकारी लेना

मतदान केन्द्र संबंधी कार्य

- समस्त मतदान केन्द्रों का भ्रमण कर जायजा लेना
- मतदान केन्द्र तक जाने वाले रास्ते सही हो, यह सुनिश्चित करना
- मतदान केन्द्र पर नाम एवं भाग संख्या अंकित हो, यह सुनिश्चित करना
- मतदान केन्द्र तक पहुंचने हेतु संकेतक लगवाना
- मतदान केन्द्र पर उपलब्ध सुविधाओं की जानकारी लेना

मतदान केन्द्र पर AMF की जानकारी लेना

- कच्चा / पक्का भवन
- दो दरवाजे
- पर्याप्त मात्रा में फर्नीचर
- बिजली, पानी, शौचालयों की व्यवस्था
- मैनगेट, चारदीवारी, बरामदा आदि की व्यवस्था
- रैम्प, व्हील चेयर आदि की व्यवस्था
- दिव्यांग जनों की सहायता हेतु स्वयं सेवकों की उपलब्धता
- फोन, मोबाईल, इन्टरनेट एवं नेटवर्क संबंधी व्यवस्था
- मतदान केन्द्र पर हैल्प डेस्क की व्यवस्था
- मतदान दलों के ठहरने की व्यवस्था

मतदान केन्द्र के बाहर सैक्टर अधिकारी के कार्य

- मतदान केन्द्र के 200 मीटर की परिधि में किसी राजनैतिक दल अथवा अभ्यर्थी का कार्यालय नहीं हो
- मतदान केन्द्र के 200 मीटर की परिधि में किसी अभ्यर्थी का बूथ नहीं हो
- मतदान केन्द्र के 100 मीटर की परिधि में मतों की याचना नहीं होनी चाहिए
- अभ्यर्थी द्वारा बनाए गए बूथ पर एक टेबल, दो कुर्सी हो। छाया के लिए छाता अथवा िपाल हो, शामयाना नही लगेगा
- मतदान केन्द्र के अन्दर मोबाईल ले जाने की अनुमति नहीं
- मतदान केन्द्र के बाहर अनावश्यक भीड एकित न हो

मतदान दिवस के पूर्व दिवस को किए जाने वाले कार्य

- मतदान दल एवं जाब्ता पहुंचना
- मतदान केन्द्र पर ले-आउट के अनुसार बूथ बनाना
- मतदान केन्द्र पर यदि **CAPF**, माइक्रो ऑब्जर्वर, वीडियोग्राफर आदि तैनात किए गए हैं, तो उनकी मौजूदगी सुनिश्चित करना
- मतदान केन्द्र पर यदि वेबकास्टिंग होनी है, तो वीडियो कैमरा एवं दर्ज कार्मिक की उपस्थिति सुनिश्चित करना
- वेबकास्टिंग के लिए लगाए जाने वाले कैमरे के सामने बैनर लगवाना, जिसमें मतदान केन्द्र का नाम, नम्बर व विधानसभा क्षेत्र का नाम, नम्बर अंकित हो

मतदान दिवस के कार्य

- Mock Poll करवाना
- Mock Poll का डाटा C.U. से क्लियर करवाना
- VVPAT से पर्चियां हटवाकर प्लास्टिक बैग में रखवाना
- मतदान अभिकर्ताओं पर निगरानी रखना
- जिन मतदान केन्द्रों पर कोई अभिकर्ता नहीं हो, या एक ही अभिकर्ता हो उस पर विशेष ध्यान देना
- मतदान दल को सहयोग प्रदान करना
- मतदाताओं को लाने—ले जाने वाले वाहनों को जब्त करवाना
- समय—समय पर रिपोर्ट भेजना
- मतदाता / अभिकर्ताओं की शिकायतों को निपटाना

मतदान समाप्ति के बाद किए जाने वाले कार्य

- क्लोज बटन दबाकर मतदान बंद करवाना
- पीठासीन अधिकारी की डायरी सही भरवाना
- EVM & VVPAT को सील करवाना
- मतप^ड लेखा (17-सी) की प्रति अभिकर्ताओं को दिलवाना
- 17-सी एवं कन्ट्रोल यूनिट में डाले गए मतों का मिलान करना
- EVM & VVPAT मशीनों को सुरक्षित पहुंचवाकर जमा करवाना
- रिजर्व EVM , मतदान सामग्री को जमा करवाना

क्रिटिकल मतदान केन्द्रों में वीडियोग्राफी / फोटोग्राफी व वेबकास्टिंग

- जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा चिन्हित किये गये क्रिटिकल मतदान केन्द्रों के भीतर फोटोग्राफी / वीडियोग्राफी की जायेगी।
- उक्त फोटोग्राफी मतदान केन्द्र पर आने वाले प्रत्येक निर्वाचक की जायेगी जिसमें उनके चेहरे की स्पष्ट फोटो ली जायेगी।
- द्वितीय मतदान अधिकारी द्वारा मतदाता रजिस्टर (प्रारूप 17—क) में मतदाता के इन्द्राज करने के तुरन्त बाद मतदाता की फोटो ली जायेगी। अर्थात् मतदाता रजिस्टर में जब मतदाता अपने हस्ताक्षर कर देता है या अगूँठा निशानी लगाता है उसके तुरन्त बाद और वोटिंग कम्पार्टमेन्ट में वोट देने के लिए जाने से पूर्व मतदाता की फोटो ली जायेगी।

- प्रत्येक मतदाता की फोटो उसी क्रम में ली जायेगी जिस क्रम में मतदाता रजिस्टर में मतदाताओं के नाम अंकित किये गये हैं।
- जो मतदाता बिना फोटो पहचान पत्र के आते हैं और निर्वाचन आयोग यदि ऐसे मतदाताओं की पहचान के लिए कोई दस्तावेज निर्धारित करता है जिनके आधार पर वे अपनी पहचान कराकर वोट देने के लिये आते हैं तो ऐसे मतदाताओं की फोटो लेने में विशेष सावधानी रखी जायेगी।
- मतदाता जब अपना वोट मतदान मशीन से अंकित करे उस समय की फोटो कदापि नहीं ली जावे क्योंकि मतदान की गोपनीयता किसी भी स्थिति में भंग नहीं होनी चाहिए।

- मतदान के दौरान प्रत्येक मतदाता की मतदान केन्द्र में फोटो लेने के साथ निम्नांकित घटनाओं की भी फोटोग्राफी अथवा वीडियोग्राफी की जायेगी—
 1. मतदान प्रारम्भ होने से पूर्व बनावटी मतदान और वोटिंग मशीन की सीलिंग की प्रक्रिया।
 2. यदि मतदान प्रक्रिया के दौरान वोटिंग मशीन का सैट बदला जाता है तो नई मशीन पर बनावटी मतदान एवं उसकी सीलिंग की प्रक्रिया।
 3. वोटिंग कम्पार्टमेन्ट की स्थिति दर्शाते हुए भी फोटो ली जायेंगी लेकिन किसी मतदाता के वोट देते समय की फोटो कदापि नहीं होनी चाहिए।
 4. मतदान केन्द्र के भीतर मतदान अभिकर्ताओं की उपस्थिति दर्शित होने वाली फोटो ली जायेगी।

5. मतदान के दौरान निर्वाचन संबंधी अधिकारियों, पर्यवेक्षकों एवं सैक्टर अधिकारियों के भ्रमण पर उनकी भी फोटो ली जायेगी।
6. मतदान समाप्ति के समय जो मतदाता लाइन में खड़े हैं उनकी फोटो जिसमें अन्तिम मतदाता की भी फोटो हो, ली जायेगी।

वेबकास्टिंग

- ☒ मतदान केन्द्रों का चिन्हीकरण

जहा' इंटरनेट की व्यवस्था ठीक हो

प्रकाश व्यवस्था ठीक हो

- ☒ वेब कास्टिंग औफिसर की नियुक्ति

दक्ष कार्मिक

IA या

IT छात्र

वेबकास्टिंग

- ❑ कम्प्यूटर / लेपटॉप का प्रयोग
- ❑ कैमरा के पीक्सेल और इन्टरनेट स्पीड ठीक है।
- ❑ एक दिन पूर्व लगाकर चलाकर देखना
- ❑ कैमरा ऐसी जगह लगाना जहाँ से अधिकांश मतदान प्रक्रिया कैप्चर की जा सके
- ❑ मतदान की गोपनीयता भंग नहीं हो
- ❑ कार्मिक को **PB/EDC** देना



/kU;
okn